न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी– महावीरसिह जोधा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 2019	28.01.2018	12.04.2019

1 भंवरसिह पुत्र मूलसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई

प्रार्थी

वनाम

1. उम्मेदसिह पुत्र सरदारसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
2. अचलसिह पुत्र जुगतसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
3. भैरूसिह पुत्र जुगतसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
4. जेठूसिह पुत्र जुगतसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
5. अर्जूनसिह पुत्र जुगतसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
6. पर्वतसिह पुत्र जुगतसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
7. दानसिह पुत्र जुगतसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
8. लहरकंवर पत्नी जुगतसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
9. भवरसिह पुत्र गणपतसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
10. चनणसिह पुत्र नारायणसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
11. तगतसिह पुत्र नारायणसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
12. केसरकंवर पत्नी नारायणसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
13. गीताकंवर पत्नी हुकमसिह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
14. अचलसिह पुत्र हुकमसिह आयु 13 वर्ष नाबालिग
15. विक्रमसिह पुत्र हुकमसिह आयु 11 वर्ष नाबालिग
16. आसुकंवर पुत्री नारायणसिह
17. सिरूकंवर पुत्री नारायणसिह
18. लीलाकंवर पुत्री नारायणसिह
19. भवरसिह पुत्र पेपसिह
20. भूरसिह पुत्र पेपसिह
21. चैनसिह पुत्र पेपसिह
22. तुलछसिह पुत्र पेपसिह
23. देवकंवर पत्नी पेपसिह
24. हनंवतसिह पुत्र लक्ष्मणसिह
25. गेनसिह पुत्र लक्ष्मणसिह सभी कौम राजपूत निवासी ग्राम आसरलाई
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर

अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर शेरगढ़
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी०पी०सी०

उपस्थिति–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जेठूसिह खीची
प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिह भाटी

आदेश

प्रकरण में पेश किये गये प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा 251 (अ) का प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा बाधित होने से प्रार्थना पत्र ही मेन्टनेबल नही होने से खारिज योग्य है ।

अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 229 रकबा 01 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी है ऐसी स्थिति में आबादी की भूमि में से कोई रास्ते का प्रावधान धारा 251(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नही है केवल खेत में से एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है जबकी अप्रार्थीगण की आबादी भूमि जहॉ पर उसकी ढाणिया पक्के मकान आए हुए है । उसमें से कोई रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है तथा उक्त प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार में नही होने से उसका क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र गैर मुमकीन आबादी भूमि के संबंध मे सुनने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 में बने प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र ही मेन्टनेबल नही होने से खारिज योग्य है। खसरा नम्बर 240 के सभी खातेदारों द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है मात्र एक खातेदार को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है खसरा नम्बर 240 का रकबा 244.14 बीघा है जिसकी नक्शे में एंव राजस्व रेकर्ड में तरमीम की हुई नही है । खसरा नम्बर 240 में बिना तरमीम किए यह सिद्व नही किया जा सकता है कि प्रार्थी की ढाणी कहॉ पर आई हुई है इस कारण उक्त अपूर्ण प्रार्थना पत्र सभी सह खातेदारान को पक्षकार बनाए बिना पेश किया गया है जो खारिज करने योग्य है। अतःप्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय भारी हर्जे व खर्चे सहित खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

धारा 251(ए) का प्रार्थना पत्र खातेदारी में दर्ज भूमि के रास्ते बाबत प्रस्तुत किया गया जो किसी प्रकार से विधि द्वारा बाधित नही है। जिस आराजी में दावा प्रस्तुत किया गया है या रिकॉर्ड में गै.मू.आबादी भूमि दर्ज होकर अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है जाहिरा तौर पर इस प्रकार की आराजी गावाई आबादी नही है क्योकि धारा 92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आराजी को आबादी घोषित नही किया गया है और जो आराजी गावाई आबादी घोषित नही हो गई हो तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदार के खाते में दर्ज हो उस आराजी के संबंध में दावे को सुनने का राजस्व न्यायालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। खसरा नम्बर 240 व सभी खातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक नही है क्योकि रास्ता प्रार्थी का ही बाधित हो रहा है इसलिए प्रार्थी ने रास्ते हेतु उक्त आवेदन प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

किया है जो विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है अप्रार्थीगण मामले को लम्बा करने की नियत से गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किा है जो खारिज होने योग्य है। जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी कॉस्ट के आधार पर खारिज फरमावे।

प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

मैने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी । अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखे कथनों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया , प्रार्थी अधिवक्ता ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में लिखे कथनों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

मैने दोनों अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आबादी की भूमि में से कोई रास्ते का प्रावधान धारा 251(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नही है केवल एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है। आबादी भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है उक्त प्रार्थना पत्र गैर मुमकीन आबादी भूमि के संबंध मे होने से प्रकारण सुनने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 में बने प्रावधानों के अनुसार 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल नही होने से खारिज किया जाता है

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

सहायक जिलाधीश
एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

Scanned by CamScanner